लगातार लूट की वारदात करने वाले शातिर गिरोह पकडाया

उज्जैन शहर में हो रही लूट की वारदातों को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शहर में वाहनों की चैंकिंग चल रही थी। नगर पुलिस अधीक्षक जीवाजीगंज श्री राजेश सहाय की टीम द्वारा मक्सी नांके पर चेंकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक मो0सा0 पर 3 सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ करते अपना नाम इकबाल पिता वजीर मंसूरी उम्र 30 साल निवासी मक्सी जिला शाजापुर, भय्यु उर्फ मनीष पिता शिवनारायण शर्मा निवासी आगर नांका, सोनू उर्फ गुलरेज पिता शेर खां निवासी आगर नांका को रोककर बारीकी से पूछताछ की गई, तो उन्होने दिनांक 27.2.09 को सेंटपाल स्कुल के टीचर ज्वलंत शर्मा को चाकू दिखाकर नगदी 5000/—रू0 लूट लेना कबूल किया व दिनांक 24.2.09 को पाटपाला शराब दुकान में विनोद शर्मा से 5500/—रू0 लूट लिये थे। बडनगर रोड मोहनपुरा पेट्रोल पम्प पर इन लोगों ने 25000/—रू0 व दो मोबाईल कट्टा दिखाकर लूट लिये एवं चिंतामण जवासिया रोड पर पेट्रोल पम्प पर 5000/—रू0 कट्टा दिखाकर लूटे थे। उपरोक्त तीनों आरोपी के अलावा अशोक पिता रामलाल निवासी आगर नांका संदीप पिता वैदनाथ निवासी सदर भी थे, जो फरार है। इसमें मुख्य आरोपी इकबाल ने स्वीकार किया कि वह चैन्नई में वकिल मदन गोपाल की हत्या मक्सी से चेन्नई में जाकर करना कबूल किया। व इसी सिलसिले में सेलम जेल से ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा से फरार होकर उक्त घटनाऐं घटित कर रहा था। आरोपियों से लूट का 30,000/—रू0 नगदी, 4 मोबाईल, एक कट्टा, दो जिन्दा कारतूस, एक चाकू व एक मो0सा0 जप्त की गई।